संख्याः 02 / 2020 / 638 /46-3-20-62/2020

प्रेषक

संजय आर.भूसरेड्डी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

(गन्ना उत्पादक जिला)

उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक **14** मई, **2020**

विषयः- गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सहकारी गन्ना विकास समितियों के खाद गोदामों को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से जरूरतमंद एवं सक्षम संस्थाओं को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के गन्ना उत्पादक जिलों में स्थित व संचालित विभिन्न सहकारी गन्ना विकास समितियों के अधीन खाद गोदाम उपलब्ध हैं, जो गन्ना समितियों में उपयोग के साथ ही साथ अन्य कृषि संबंधी प्रयोजनों के उपयोग में लायी जाती है तथा इनसे प्राप्त होने वाले किराया की धनराशि समितियों की आय होती है। इस सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त / निबन्धक, सहकारी गन्ना / चीनी मिल समितियाँ, उ.प्र. लखनऊ के स्तर से निर्गत कार्यालय परिपत्र संख्याः **933/सी**, दिनांक **17.01.2018** द्वारा "**दुकान आवंटन एवं किराया निर्धारण नीति**" जारी की गयी है, जिसमें गन्ना उत्पादक मण्डल / परिक्षेत्र व जिलों में स्थित गन्ना समितियों के निर्मित खाद गोदामों को संबंधित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से, कलेक्टर द्वारा निर्धारित किराया सर्किल रेट के अनुसार, उक्त नीति में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इफ्को, कृभकों, एफ.सी.आई., पी.सी.एफ. या अन्य जरूरतमंद / सक्षम संस्थाओं को किराये पर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि गन्ना आयुक्त / निबन्धक, सहकारी गन्ना / चीनी मिल समितियाँ, उ.प्र. के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सहकारी गन्ना विकास समितियों के पास कई ऐसे खाद गोदाम है, जोकि अनुपयोगित है, को उपयोगी बनाकर गन्ना समितियों के आय के साधन के रूप में विकसित करने हेतु जरूरतमंद / सक्षम संस्थाओं को किराये पर दिया जा सकता है। इन अनुपयोगित खाद गोदामों को जरूरतमंद / सक्षम संस्थाओं को किराये पर दिये जाने से जहाँ एक ओर जरूरतमंद / सक्षम संस्थाओं की भण्डारण आवश्यकतायें पूरी होंगी, वहीं दूसरी ओर गन्ना समितियों को किराये के रूप में प्राप्त होने वाली आय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उनके स्तर से प्रसारित निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी के स्तर से की गयी कार्यवाही के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अतः इस कार्य हेतु गन्ना उत्पादक जिलों के जिलाधिकारी के स्तर से आवश्यक कार्यवाही / सहयोग की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत आपके जिले में स्थित व कार्यरत सहकारी गन्ना विकास समितियों के अनुपयोगी खाद गोदामों को, गन्ना आयुक्त / निबन्धक, सहकारी गन्ना / चीनी मिल समितियाँ, उ.प्र. द्वारा निर्गत उपर्युक्त संदर्भित "**दुकान आवंटन एवं किराया निर्धारण नीति**" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं अनुबन्ध के आधार पर, इफ्को, कृभकों, एफ.सी.आई., पी.सी.एफ. या अन्य जरूरतमंद / सक्षम संस्थाओं को किराये पर दिये जाने के कार्य को जिले स्तर की प्राथमिकता में शामिल करते हुये, विभिन्न विभागों / संस्थाओं द्वारा गोदामों को भण्डारण हेतु उपयोग व किराये पर लिये जाने के संबंध में अपने स्तर से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा इसका जिले स्तर पर सभी विभागों के मध्य प्रचार-प्रसार भी कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य की नियमित मासिक अनुश्रवण एवं समीक्षा भी अपने स्तर पर करने का कष्ट करें। गोदामों के सम्बन्ध में सूचना सम्बंधित जिले के जिला गन्ना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

संजय आर.भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्याः 02 / 2020 / 638(1)/46-3-20-62/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र.शासन को इस अभ्युक्ति सहित प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त जिला एवं मण्डल स्तरीय विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश अपने स्तर से भी निर्गत करने का कष्ट करें।
2. गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियाँ, उ.प्र., लखनऊ।
3. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
7. संयुक्त गन्ना आयुक्त (समिति), कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
8. समस्त उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।